



दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

प्रिय महोदय,
अभिवादन!

इसका संदर्भ भारत-चिली सीईपीए वार्ता के अंतर्गत टैरिफ लाइनों से है।

इस संबंध में, हमें रसायन और पेट्रो रसायन विभाग से **528 टैरिफ लाइनों (पेट्रोकेमिकल्स)** की एक सूची प्राप्त हुई है - [\(सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें\)](#), विषय वस्तु पर आपके बहुमूल्य इनपुट/टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए।

भारत और चिली वर्तमान में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) पर बातचीत कर रहे हैं। वार्ता का पहला दौर 26^{से} 29 मई के दौरान नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत-चिली CEPA वार्ता के पहले दौर के दौरान, इस बात पर व्यापक रूप से सहमति बनी थी कि दोनों पक्ष **01.05.2025 से प्रभावी शुल्क** के साथ माल प्रस्ताव पर बातचीत करेंगे। चिली पक्ष को भारत का पहला माल बाजार पहुँच प्रस्ताव वार्ता के दूसरे दौर से पहले जुलाई 2025 के मध्य सप्ताह में आयोजित करने का प्रस्ताव है।

इसे देखते हुए, हमसे अनुरोध किया गया है कि हम चल रही सीईपीए वार्ता के तहत चिली को दी जा सकने वाली प्रत्येक टैरिफ लाइन के लिए टैरिफ उदारीकरण/बहिष्कार प्रदान करें। कृपया अपलोड की गई एक्सेल शीट में टिप्पणियों/इनपुट के लिए निर्दिष्ट कॉलम में जानकारी साझा करें। यह भी अनुरोध किया जाता है कि संलग्न एक्सेल में कॉलम “तर्कसंगत” के तहत प्रस्तावित रियायत के पीछे के तर्क को उजागर करें।

कृपया हमें अपने बहुमूल्य इनपुट/टिप्पणियाँ सोमवार सुबह **07 जुलाई, 2025** तक ई-मेल (nilotp@plexconcil.org) पर भेजें।

साभार,

नीलोत्पल बिस्वास

क्षेत्रीय निदेशक

प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद